छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय डी.के.एस. भवन, रायपुर

//आदेश//

रायपुर, दिनांक 08/11/2011

क्रमांक/पंचा./पंग्राविवि/22/2011/1102/– राज्य शासन एतद्द्वारा, प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित शालाओं में कार्यरत शिक्षाकर्मियों द्वारा स्वयं या पति/पत्नी द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत नसबंदी कराने पर प्रोत्साहन स्वरूप निम्नानुसार अग्रिम वेतनवृद्धि स्वीकृत करता है :–

1. एक जीवित बच्चे के बाद स्वयं या पति/पत्नी की नसबंदी कराने पर दो अग्रिम वेतनवृद्धियां स्वीकृत की जायेंगी।
2. दो जीवित बच्चों के बाद स्वयं या पति/पत्नी की नसबंदी कराने पर एक अग्रिम वेतनवृद्धि स्वीकृत की जायेगी।

इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि प्रथम प्रसव में ही जुड़वां बच्चे जन्म लेते हैं तो एक बच्चे की अधिकतम सीमा पार हो जाती है. ऐसी स्थिति में नसबंदी कराने पर प्रथम प्रसव होने के कारण उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1 की व्यवस्थानुसार शिक्षाकर्मी को दो अग्रिम वेतनवृद्धि स्वीकृत की जायेगी।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि शिक्षाकर्मी पूर्व में किसी अन्य पद पर कार्यरत रहते हुए परिवार कल्याण कार्यक्रम का लाभ प्राप्त कर चुका हो तो उसे इस लाभ की पात्रता नहीं होगी।

उक्त आदेश पर छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(देवाशीष दास)
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्रमांक/पंचा./पंग्राविवि/22/2011/ 1103 रायपुर, दिनांक 2/11/11

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. विशेष सहायक/निज सहायक, माननीय मंत्रीगण, छत्तीसगढ़ शासन की ओर सूचनार्थ।

---

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. प्रमुख सचिव,–छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय रायपुर की ओर सूचनार्थ।
6. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
7. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. आयुक्त/संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा, छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ।
10. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. समस्त संयुक्त/उपसंचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, छत्तीसगढ़ की ओर सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग